भारत सरकार **Government of India**

रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**

रेलवे बोर्ड **(Railway Board)**

RBA No. 12/2020

No. 2017/AC-II/9/10/Pt.IV

New Delhi, dated: 03 -02-2020

PFAs,
All Indian Railways/PUs.

Sub: Inclusion of mode of payment through letter of credit (LC) as option in domestic Supply/Works contracts.

Ref: Board's letter no. 2017/ACII/9/10/Pt I dated 20.02.2018 (RBA No. 10/2018)

****

It has been brought to the notice of Railway Board that some of the Railways are not opening LCs in case of Purchase Orders of less than ₹ 10 lakhs since the threshold for issuing LC is ₹10 lakhs as per Board's guidelines. CRIS has been advised to ensure necessary software filter so that system allows LC option only in case of estimated tender value above ₹ 10lakhs. However, since Purchase Order is a valid legal contract document, LC may be opened in all case, where Purchase Orders has been issued with LC clause irrespective of the P.O.value .

Kindly ensure necessary action accordingly.

(Vinod Kumar)
Director Railway Stores(M)
Railway Board

(Sanjeev Sharma)
Director Finance (Accounts)
Railway Board

Copy for information and necessary action to
(1) MD/CRIS/Chanakyapuri, New Delhi.
(2) EDRS/G and EDCE/G

DDRS/G

Please upload

Scanned with CamScanner

भारत सरकार/GOVRENMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 12/2020

सं. 2017/एसी-II/9/10/पार्ट.IV

नई दिल्ली, दिनांक: 03.02.2020

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: घरेलू आपूर्ति/निर्माण ठेकों में विकल्प के रूप में साख-पत्र के जरिए भुगतान माध्यम को शामिल करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 20.02.2018 का पत्र सं. 2017/एसीII/9/10/पार्ट ।
(आरबीए सं. 10/2018)

****

रेलवे बोर्ड के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ रेलें 10 लाख रुपए से कम के खरीद आदेशों के लिए साख-पत्र नहीं खोल रही हैं क्योंकि बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार साख-पत्र जारी करने की सीमा 10 लाख रुपए है। क्रिस को इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर फ़िल्टर सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है ताकि सिस्टम में 10 लाख रुपए से अधिक के अनुमानित निविदा मूल्य के मामले में ही साख-पत्र का विकल्प दिया जाए। बहरहाल, चूंकि खरीद आदेश एक वैध कानूनी ठेका दस्तावेज़ है, इसलिए उन सभी मामलों में साख-पत्र का विकल्प दिया जा सकता है, जहां खरीद आदेशों के मूल्य पर ध्यान दिए बिना साख-पत्र के विकल्प के साथ खरीद आदेश जारी किए गए हैं।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(विनोद कुमार)
निदेशक रेल भंडार (एम)
रेलवे बोर्ड

(संजीव शर्मा)
निदेशक वित्त (लेखा)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
(1) प्रबंध निदेशक/क्रिस/चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
(2) ईडीआरएस/जी और ईडीसीई/जी

Scanned with CamScanner